

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2016


विषय: नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों में शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की जाती है। उक्त धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से संबंधित शिलालेख/पट्टिका में केवल अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी एवं पार्षदों के नाम अंकित करवाये जा रहे हैं, वह गलत है। शासन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।

2. उक्त प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने हेतु प्रदेश की नगर निकायों/जिला प्रशासन द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है-

1. नगर विकास विभाग से संबंधित शासकीय धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से संबंधित शिलालेख/पट्टिकाओं में मा0मुख्यमंत्री जी, मा0 गंत्री, नगर विकास विभाग तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाय।
2. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कराये गये विकास कार्यों से संबंधित पूर्व में लगाये गये शिलालेख/पट्टिकाओं में तत्काल उपरोक्तानुसार संशोधन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
3. संबंधित जिले के जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी शासन को आश्वस्त करेंगे कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन एवं नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-399(1)/नौ-5-2016-265सा/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त महापौर/मा0अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सूडा/नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, सीएण्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल।
6. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।